

ए.11018 / 01 / 2021-एम.एच.2 / एन.सी.डी.-1

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

एनसीडी-1

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 11 अक्टूबर, 2021

जन-सूचना

02 अक्टूबर 2021

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी 14017/61/2008 स्था. (आर आर) के अनुपालन में अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई में परिचर्या आधिकारी पद हेतु भर्ती नियम का प्रारूप सर्वसाधारण के सूचनार्थ इसके साथ संलग्न है।

2. प्रारूप भर्ती नियमों पर कोई आपत्ति / टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक स्टैकहोल्डर, जन-सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर अपने सुझाव अवर सचिव (एन.सी.डी.-I.) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कमरा नं. 430 'सी' विंग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड नई दिल्ली.110108 को लिखित रूप में या इस ई-मेल पते [s.dharminder@nic.in](mailto:s.dharminder@nic.in) पर भेज सकते हैं।



(धर्मेन्द्र सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेलीफोन नं. 011-2306 2666



भारत सरकार  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख:

2021

अधिसूचना

सा.का.नि. . . . - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, बॉम्बे (श्रेणी- III और श्रेणी- IV पद) भर्ती नियम, 1968 को, जहाँ तक उसका संबंध स्टाफ नर्स के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, मुम्बई में परिचर्या अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:**(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा संस्थान, मुम्बई, परिचर्या अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2021 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता-** कोई भी व्यक्ति-  
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या  
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;  
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:  
परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
- शिथिल करने की शक्ति:** जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े जातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।



अनुसूची

| पद का नाम        | पद की संख्या   | वर्गीकरण   | वेतन मैट्रिक्स में स्तर               | चयन पद या अचयन पद | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा  | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं  |
|------------------|--|--|---------------------------------------|-------------------|--|---|
| (1)              | (2)  | (3)  | (4)                                   | (5)               | (6)  | (7)   |
| परिचर्या अधिकारी | 15*(पंद्रह) (2021)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय | स्तर - 7<br>(44,900 - 1,42,400 रुपये) | लागू नहीं होता।   | 35 वर्ष से अधिक नहीं।<br>(केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु-सीमा पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)<br>टिप्पण 1: आयु-सीमा निर्धारण की निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी न की वह नियत तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिला तथा चंबा जिला का पांगी उपखंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।<br><br>टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालय के अभ्यर्थियों के मामले में आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी, जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय को नाम प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। | I.(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नर्सिंग में बी.एससी.(ऑनर्स); या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बी.एससी. नर्सिंग का नियमित पाठ्यक्रम; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पोस्ट बेसिक बी.एससी नर्सिंग;<br>(ii) राज्य नर्सिंग परिषद में नर्स या नर्स एवं मिडवाइफ (आरएन या आरएन और आरएम) के रूप में पंजीकृत; या<br>(ii). (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या परिषद से सामान्य नर्सिंग मिड-वाइफरी में डिप्लोमा;<br>(ii) राज्य नर्सिंग परिषद में नर्स या नर्स एवं मिड वाइफ (आरएन या आरएन और आरएम) के रूप में पंजीकृत; और<br>(iii) ऊपर II(i) में उल्लिखित शैक्षिक अर्हताएँ प्राप्त करने के पश्चात न्यूनतम पञ्चास बिस्तरो वाले अस्पताल में एक वर्ष का अनुभव।<br>टिप्पण-1: अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार, कारणों को लेखबद्ध करते हुए शिथिल की जा सकती हैं।<br>टिप्पण-2 : अनुभव संबंधी अर्हताएँ, कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार, कारणों को लेखबद्ध करते हुए, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है। |



| सीधी भर्ती किए जाने वाले 5 व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं। | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता   | प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना  | भर्ती की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|-------------------------------|--|---|---|---|
| (8)   | (9)                           | (10)   | (11)  | (12)  | (13)  |
| लागू नहीं होता।   | दो वर्ष                       | सीधी भर्ती द्वारा।<br>टिप्पण:- पदधारी के एक वर्ष या उससे अधिक समय के लिए प्रतिनियुक्ति पर चले जाने अथवा लंबे समय से बीमार होने अथवा अध्ययन अवकाश पर चले जाने पर अथवा अन्य परिस्थितियों में होने वाली रिक्तियों को केंद्र सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जा सकेगा जो-<br>(क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; या<br>(ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 में पदों पर पाँच वर्ष से नियमित सेवा कर रहे हों; और<br>(ख) स्तम्भ (7) के अंतर्गत सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हों। | लागू नहीं होता।   | पुष्टि हेतु विभागीय पुष्टि समिति:<br>1. अपर निदेशक - अध्यक्ष;<br>2. उप निदेशक(पुनर्वास) - सदस्य;<br>3. प्रोफेसर(पीएमआर) - सदस्य;<br>4. सहायक नर्सिंग अधीक्षक - सदस्य। | लागू नहीं होता।   |

(ए.11018/01/2021-एमएच-II)

अवर सचिव, भारत सरकार